अनुदान संख्या 20 - रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 20 – MINISTRY OF DEFENCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*26,00*	*22,29*	*-3,71*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*14,20*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	14723,43,00	14723,46,00	14011,83,84	–711,62,16
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				641,76,60
पूंजीगत:	**Capital :**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1874,55,00	1874,56,00	1597,64,66	–276,91,34
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				272,82,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, अभ्यर्पित राशि *(₹14.20 लाख) ₹3.71 लाख* की कुल बचत से अधिक हो गई।

बचत निम्नानुसार हुई:-

(I) *₹1.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered *(₹14.20 lakhs*) exceeded the overall saving of *₹3.71 lakhs*.

Saving occurred as under:-

(I) *Appropriation* of *₹1.00 lakh* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat – General Services					
मू.	O.	134256.00				
पू.	S.	2.00		140444.00	138721.97	–1722.03
पु.	R.	6186.00				
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice					
मू.	O.	2790.00		2088.00	2067.59	–20.41
पु.	R.	–702.00				
मुख्य शीर्ष "2037" सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs					
मू.	O.	97121.00		96036.40	94472.62	–1563.78
पु.	R.	–1084.60				
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police					
मू.	O.	80544.00		86212.00	85324.09	–887.91
पु.	R.	5668.00				
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services					
मू.	O.	1150000.00				
पू.	S.	1.00		1078673.00	1076551.13	–2121.87
पु.	R.	–71328.00				
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	4000.00		1107.00	614.83	–492.17
पु.	R.	–2893.00				

(I) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय" -

(क) "रक्षा विभाग" - ₹718.19 लाख की बचत (दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9679.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "रक्षा उत्पादन विभाग" - ₹109.39 लाख की बचत (₹1923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग" - ₹125.49 लाख की बचत (₹514.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य कार्यालय - रक्षा लेखा विभाग" - ₹2113.07 लाख की बचत (₹105158.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2014" - "अन्य व्यय - सशक्त सेना अधिकरण" के अंतर्गत ₹722.41 लाख की बचत (₹2790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, आकस्मिक मदों की अधिप्राप्ति न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक और अन्य कार्य - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत ₹2648.38 लाख की बचत

(I) Under Major Head "2052" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat" –

(a) "Department of Defence" – saving of ₹718.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9679.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Department of Defence Production" – saving of ₹109.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1923.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(c) "Department of Ex-Servicemen Welfare" – saving of ₹125.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹514.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) "Other Offices - Defence Accounts Department" – saving of ₹2113.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105158.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(II) Under Major Head "2014" – "Other Expenditure - Armed Forces Tribunal" - saving of ₹722.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2790.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of contingent items and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(III) Under Major Head "2037" – "Preventive and Other Functions – Coast Guard Organisations"

(₹97121.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया संशोधन मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, आपूर्ति आदेशों का मूर्त रूप न लेने, विदेश दौरे, पोतों/नावों की मरम्मत और रिफिट, वायुयान का रख-रखाव, मशीनरों और उपस्करों और अतिरिक्त उपकरणों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

- saving of ₹2648.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹97121.00 lakhs) was due to non-finalisation of rent revision cases, non-materialisation of supply orders, requirement of less funds towards foreign tours, repair and refit of ships/boats, maintenance of aircraft, machinery and equipments and spares and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(IV) मुख्य शीर्ष "2075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवाएं निदेशालय" - ₹73449.87 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1150001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेजिडेंट लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, मुंबई के अनुसार पेंशनरी प्रभारों के लिए संशोधित प्रणाली, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने और मात्रा और स्टोरों की दरों में मिलान न होने की वजह से बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2075" – "Canteen Stores Department - Directorate of Canteen Services" – saving of ₹73449.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1150001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) was due to revised methodology for pensionery charges as per Resident Audit Cell, Mumbai, cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage and non-settlement of bills owing to mismatch of quantity and rates of store.

(V) मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - यातायात उपस्कर उद्योग - पोत निर्माण आर्थिक सहायता" के अंतर्गत ₹3385.17 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बल्कर पोतों के निर्माण में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries - Ship Building Subsidies" – saving of ₹3385.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to slow progress in the construction of Bulker vessels.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹97.50 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹97.50 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8076.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2013 में मुख्य शीर्ष "2052" - "अन्य कार्यालय - रक्षा संपदा संगठन" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7554.63 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹8076.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2013 under Major Head "2052" – "Other offices – Defence Estate Organisation". Actual excess, however, was ₹7554.63 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2055” - “विशेष पुलिस - जम्मू और कश्मीर लाइट इनफेंटरी के संबंध में भुगतान किए गए प्रभार” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹4780.09 लाख का अधिक व्यय (₹80544.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सैनिकों के वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2055” – “Special Police – Charges paid in respect of J and K Light Infantry” – excess of ₹4780.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80544.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances of troops.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:–

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4047” अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4047” Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	180000.00			
पू.	S.	1.00	156500.00	156470.97	–29.03
पु.	R.	–23501.00			
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5000.00	2454.00	2166.48	–287.52
पु.	R.	–2546.00			
मुख्य शीर्ष “4075” विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4075” Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	600.00	305.00	305.05	+0.05
पु.	R.	–295.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1555.00	833.00	746.96	–86.04
पु.	R.	–722.00			
मुख्य शीर्ष "7615" विविध कर्ज	Major Head "7615" Miscellaneous Loans				
मू.	O.	300.00	82.00	75.20	–6.80
पु.	R.	–218.00			

(I) ₹1500.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण - सशस्त्र सेना अधिकरण" के अंतर्गत सशस्त्र सेना अधिकरण (क्षेत्रीय शाखा), कोची के संबंध में आकलनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction – Armed Forces Tribunal" – due to non-finalisation of estimates in respect of Armed Forces Tribunal (Regional Bench), Kochi.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत ₹23530.03 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹180001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047" – "Customs – Coast Guard Organization" - saving of ₹23530.03 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹180001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage owing to slow progress of works.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction" – savings occurred under the following heads:-

(का) "रक्षा लेखा विभाग" - ₹965.47 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अहमदाबाद में स्थानीय सिविक प्राधिकरियों से अनुमोदन प्राप्त न होने, भूमि अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक विलंब होने और निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Defence Accounts Department" – saving of ₹965.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from the local civic authorities at Ahmedabad, procedural delay in land acquisition and slow progress of works.

(खा) "रक्षा संपदा संगठन" - ₹368.05 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Defence Estates Organisation" – saving of ₹368.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-approval of some projects.

(IV) मुख्य शीर्ष "4075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - निर्माण" - ₹294.95 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी कार्यों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4075" – "Canteen Stores Department – Construction" – saving of ₹294.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-approval of technical works.

(V) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - अन्य आवास - निर्माण" - ₹806.09 लाख की बचत (₹1540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अहमदाबाद में स्थानीय सिविक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्रदान न किए जाने, अंतिम बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने, परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/पूरा न होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing – Construction" – saving of ₹806.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1540.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from the local civic authorities at Ahmedabad, non-finalisation of final bills, non-approval of projects and slow progress/ non-completion of works.

(VI) मुख्य शीर्ष "7615" - "विविध कर्ज - यूनिट रन कैंटीनों को कर्ज" के अंतर्गत ₹224.80 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूनिट रन कैंटीनों के कर्ज के लिए कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "7615" – "Miscellaneous Loans – Loans for Unit Run Canteens" – saving of ₹ 224.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to receipt of less number of applications for Unit Run Canteen Loans.